संख्या-280/2017/2002/22-2-2016-17(23)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी भल्लू पुत्र श्री नन्हकऊनू, निवासी जनपद-उन्नाव की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38320/पर-2(एम0 13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी भल्लू पुत्र श्री नन्हकऊनू, ग्राम-गढवा टोला भगवन्तनगर, थाना-बिहार, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.06.1985 को अपरान्ह में लाठी, कुल्हाडी एवं तबल से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-297/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव द्वारा दिनांक 07.10-1986 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2016 तक 21 वर्ष 03 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 00 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 62 वर्ष लगभग है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्व है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने एवं बन्दी के रिहा होने पर पीडित पक्ष में आक्रोश उत्पन्न होने की सम्भावना व्यक्त करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3, उन्नाव से प्राप्त अभिमत दिनांक 01.09.2016 में अवगत कराया है कि बन्दी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। आजीवन कारावास का अर्थ सम्पूर्ण जीवन के कारावास से होता है अर्थात सिद्धदोष अभियुक्त मृत्यु तक कारावास में रहेगा। अत: सिद्धदोष अभियुक्त का समय से पूर्व रिहा करने का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। सलाहकार समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, कुल्हाडी एवं तबल से मारकर 01 व्यक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की हत्या करने का अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा किए गये विरोध तथा मा0 न्यायालय की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भल्लू पुत्र श्री नन्हकऊनू को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी भल्लू (बन्दी संख्या-16980) पुत्र श्री नन्हकऊनू, निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-280/2017/2002/(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।